

[ 12/7/2024 ]

परिशिष्ट

प्रश्न सं. [ क. 1778 ]

समय-सीमा प्रकरण

मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 1/2/34/0003/2023/1/34

भोपाल, दिनांक 20/9/23

प्रति,


प्रमुख अभियंता,  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी  
म.प्र. भोपाल

विषय-राज्य सरकार के विभागों में सविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयांतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 22.07.2023 में जारी दिशा निर्देश की कड़िका 3 अनुसार मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में समिति की बैठक दिनांक 02.08.2023 का कार्यवाही विवरण एवं सविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का नियमित पदों के समकक्ष वर्गीकरण की प्रति संलग्न प्रेषित है।

2/- निर्देशानुसार कृपया कार्यवाही विवरण अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।  
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

  
20/9/23  
(शिखा पोरस नरवाल)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल


दिनांक एफ 1/2/34/0003/2023/1/34


भोपाल, दिनांक 1 / /2023


### कार्यवाही विवरण


राज्य सरकार के विभागों में संविदा नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सं-5-2/2018/1/3 दिनांक 22.07.2023 द्वारा जारी किए गए हैं। दिशा-निर्देश की कंडिका-3 में संविदा पदों का नियमित पदों से समकक्षता के निर्धारण का अनुमोदन एवं निर्धारण में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सक्षम समिति जिसमें अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग एवं संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे, के द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

सक्षम समिति की बैठक दिनांक 02.08.2023 को आयोजित की गई जिसमें विभाग में संविदा में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के द्वारा धरित पदों की समकक्षता निर्धारण का अनुमोदन संलग्न पत्रक के अनुसार किया गया है।

  
(संजय कुमार शुक्ल)  
प्रमुख सचिव  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग


  
(अजीत केसरी)  
अपर मुख्य सचिव  
वित्त विभाग


  
(विनोद कुमार)  
अपर मुख्य सचिव  
सामान्य प्रशासन  
विभाग


  
(इकबाल सिंह वैस)  
मुख्य सचिव  
मध्यप्रदेश शासन


राज्य शासन में विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत अधिकारी /  
कर्मचारियों का नियमित पदों के समकक्ष वर्गीकरण

क्र.	विभाग का नाम	संविदा पद का पदनाम	सक्षम समिति द्वारा समकक्षता हेतु मेट्रिक्स लेवल का निर्धारण	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	राज्यस्तरीय कंसल्टेंट	13	
2		राज्यस्तरीय डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	4	
3		जिला स्तरीय कंसल्टेंट	10	
4		विकासखण्ड स्तरीय समन्वयक	8	
5		रसायनज्ञ	6	अन्य विभागों में इस पद हेतु निर्धारित समकक्षता के आधार पर लेवल 4 के स्थान पर 6 किया गया है
6		प्रयोगशाला सहायक	4	
7		हैण्डपंप तकनीशियन	4	

  
(संजय कुमार शुक्ल)  
प्रमुख सचिव  
लोक स्वास्थ्य  
यांत्रिकी विभाग

  
(अजीत केसरी)  
अपर मुख्य सचिव  
वित्त विभाग

  
(विनोद कुमार)  
अपर मुख्य सचिव  
सामान्य प्रशासन विभाग

  
(इकबाल सिंह बैस)  
मुख्य सचिव  
मध्यप्रदेश शासन